

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग


पत्रांक - वि० प्रा० (I) व³-66/2002 पार्ट-I/५२१५/पटना, दिनांक - २५-१२-०१९

आदेश


बिहार कोषागार नियमावली- 2011 के नियम- 84 में निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित प्रभारी प्राचार्य/व्याख्याता को स्तम्भ-4 में उल्लेखित अतिरिक्त प्रभार से संबंधित संस्थान का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में वित्तीय शक्ति प्रदत्त की जाती है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम/संस्थान	अतिरिक्त प्रभार से संबंधित संस्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री आनन्द कृष्ण	प्रभारी प्राचार्य, रा०पो०, नवादा	रा०पो०, अस्थावॉ (नालंदा)
2.	श्री रामपुकार चौधरी	व्याख्याता (प्र०को०) यांत्रिकी, रा०पो०, छपरा	रा०पो०, सीवान


2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) व³-66/2002 पार्ट-I/५२१५/पटना, दिनांक - २५-१२-०१९
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) व³-66/2002 पार्ट-I/५२१५/पटना, दिनांक - २५-१२-२०१९
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीवान/नालंदा/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा/अस्थावॉ/सीवान/आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।